न्यायालय जिला कलक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी डॉ0 गौरव सैनी

अपील संख्या 28/24

तारीख रजू- 21/10/24

1. शब्बीर पुत्र अब्दुल रहीम जाति खैलदार (मुसलमान) निवासी उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी।

—अपीलार्थी

बनाम

1. .सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी।

—रेसपोडेन्ट

उपस्थित

1. अधिवक्ता तरूण शर्मा — अपीलार्थी पक्ष
2. पेरोकार सरकार — रेसपोडेन्ट पक्ष

निर्णय

दिनांक 29.11.2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा मिसल संख्या 52/2024 में पारित निर्णय दिनांक 07/08/2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम उदेइ कलां के आराजी ख0नं0 4853 रकबा 0.07 है0 किस्म गै0मु0रास्ता पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शारित आरोपित करने के दण्ड से तथा 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मिशल के तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है, बल्कि उक्त भूमि से सटवां अपीलान्ट की खातेदारी भूमि है। अपीलान्ट द्वारा पूर्व में ही उक्त भूमि से अपना कब्जा हटा लिया गया है। किन्तु उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की एक पक्षीय रिपोर्ट को आधार मानकर उक्त आदेश पारित किया है। अपीलान्ट सीधे सादे ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है जो रास्ते की भूमि पर कब्जा करने की मंशा नहीं रखते है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को 60 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित किया है। अपीलान्ट सीधा सादा 62 वर्षीय ग्रामीण परिवेश का इज्जतदार व्यक्ति है यदि अपीलान्ट को जेल भेज दिया गया तो अपीलान्ट व उसका परिवार भूखा मर जावेगा तथा भू–अभिलेख निरीक्षण एवं पटवारी हल्का से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 19.11.2024 के अनुसार भी उक्त खसरा नम्बर 4853 रकबा 0.07 है0 किस्म गै0मु0रास्ता वर्तमान में मौके पर खाली /पड़त पड़ा है। अतिक्रमी (अपीलार्थी) द्वारा कब्जा छोड़ दिया गया है, साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

29/11/24

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई साबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है, साथ ही पेरोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

दोनों पक्षों की बहस सुनने,उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीवार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई साबूत हेतु नोटिस जारी किया गया । जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है। भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का से प्राप्त नवीनतम मौका रिपोर्ट दिनांक 19.11.2024 के अनुसार भी उक्त खसरा नम्बर 4853 रकबा 0.07 है0 वर्तमान में मौके पर खाली/पड़त पड़ा है, लेकिन अपीलार्थी द्वारा भविष्य में उक्त आराजी पर पुनः अतिक्रमण किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । इसलिए अपीलार्थी को भविष्य में उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं किये जाने हेतु पावन्द किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से इस निर्देश के साथ स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी एक शपथ पत्र इस आशय का "अपीलार्थी भविष्य में उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं करेगा एवं यदि वह अतिक्रमण करता है तो उसके बाद होने वाली सामत कार्यवाही का वह स्वयं जिम्मेदार होगा " इस निर्णय से 15 दिवस के अन्दर न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी में एवं प्रति इस न्यायालय में पेश कर देता है तो अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय में अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त माना जावे अन्यथा सिविल कारावास की सजा यथावत मानी जावे । शेष आदेश शासित , बेदखली व फराल निलामी को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29/11/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/11/24

(सौरव सैनी)